राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

1. **योजना की शुरूआत** : राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2003 से राजस्थान में लागू की गई ।

2. **उद्देश्य** : योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़ आदि), कीट व रोग के कारण किसी भी संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज के जरिये वित्तीय सहायता प्रदान कर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना ।

3. इस योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से बीमित किए जाएंगे एवं गैर ऋणी कृषक स्वेच्छिक आधार पर योजना में भाग ले सकते हैं ।

4. **ऋणी काश्तकार** जिन्होंने संसूचित फसलों के लिए कृषि ऋण ले रखा है ।

5. **गैर ऋणी काश्तकार :** संसूचित फसल उगाने वाले काश्तकार ।

6. गत 5 वर्षो में फसल विशेष का औसत बुवाई क्षेत्र 500 हैक्टर होने पर तहसील का चयन किया जाता है ।

7. संसूचित फसलें निम्नानुसार हैं :–

खरीफ	:	ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, चौला, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, ग्वार । (11 फसलें)
रबी	:	गेहूं, जौ, चना, राई सरसों, तारामीरा, धनिया, जीरा, मेथी, ईसबगोल (9 फसलें)

7– **प्रिमियम राशि** : गारण्टी उपज x न्यूनतम समर्थन मूल्य/औसत बाजार भाव x सामान्य प्रीमियम दर से प्राप्त होती है । भारत सरकार द्वारा सामान्य प्रिमियम दरें निम्नानुसार निर्धारित की हुई हैं :–

फसल मौसम	**फसलें**	**प्रीमियम की दरें**
खरीफ	बाजरा एवं तिलहन	बीमित राशि का अधिकतम 3.5 प्रतिशत
	अन्य फसलें (अनाज, अन्य कदन्न एवं दलहन)	बीमित राशि का अधिकतम 2.5 प्रतिशत
रबी	गेहूं	बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत
	अन्य फसलें (अनाज, अन्य कदन्न एवं दलहन)	बीमित राशि का अधिकतम 2.0 प्रतिशत
खरीफ एवं रबी	वार्षिक नकदी / वार्षिक बागवानी फसलें	वास्तविक दर

8– **जोखिम स्तर** : विगत दस वर्षो {1998 से 2007} के उपज के आंकड़ों में विचलन के गुणांक [COEFFICIENT OF VARIATION] के आधार पर तय की जाती है ।

9– **बीमित राशि** : गारण्टी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य/औसत बाजार भाव से गुणा करने पर बीमित राशि तय की गई है । ऋणी किसानों के लिए बीमित राशि कम से कम दिए गए फसल ऋण की राशि के बराबर होगी ।

10– उपज का निर्धारण हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर संसूचित फसल पर न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोग राजस्व मंडल, अजमेर के निर्देशानुसार सम्पादित करवाए जाते हैं। इन प्रयोगों के आधार पर तहसील की वास्तविक फसलवार औसत उत्पादकता ज्ञात की जाती है ।

11— **गारण्टी उपज** गेंहू के मामले में पिछले तीन वर्ष की औसत उपज का तथा अन्य फसलो में पांच वर्षो की औसत उपज, जोखिम स्तर से गुणित कर निकाली जाती है।

12— वास्तविक उपज गारन्टी उपज से कम होने की स्थिति में उस तहसील के संसूचित फसल के लिए समस्त बीमित कृषकों को मुआवजा देय होता है ।

13— मुआवजे की गणना निम्नांकित फार्मूला के आधार पर की जाती है :—

$$\frac{\text{उत्पादकता में कमी} \times \text{फसल के लिए बीमित राशि}}{\text{गारण्टी उत्पादकता}}$$

(उत्पादकता में कमी = गारण्टी उत्पादकता — वास्तविक उत्पादकता)

14— क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कम्पनी द्वारा नोडल बैंकों के माध्यम से काश्तकारों के खातों में जमा कराई जाती है ।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

क्र.सं.	बीमित कृषक	लाभांवित कृषकों की सं0	बीमित क्षेत्रफल (लाख है0)	बीमित राशि रूपये करोड़ में	प्रीमियम राशि रूपये करोड़ में	मुआवजा राशि (करोड रू0 में)	मुआवजे में राज्य सहायता रूपये करोड़ में
खरीफ.2003	21182	259	1.08	27	0.95	0.03	0.00
खरीफ.2004	1497838	330100	39.33	1373	43.45	133.04	44.80
खरीफ.2005	1666960	608106	40.45	1481	46.19	216.08	111.13
खरीफ.2006	1805491	472756	40.72	1339	38.87	180.38	70.76
खरीफ.2007	2146807	230183	39.65	1777	52.11	88.41	18.15
खरीफ.2008	1386308	457004	27.61	1394	40.19	247.49	103.65
खरीफ.2009	2592735	2103382	46.73	2724	79.57	1399.20	659.85
खरीफ योग	11117321	4201790	235.57	10115	301.33	2264.63	1008.34
रबी 2003–04	39735	738	0.24	15	0.25	0.12	0.00
रबी 2004–05	445192	46284	9.17	601	11.65	10.30	0.00
रबी 2005–06	670365	167881	14.97	970	21.46	84.43	39.11
रबी 2006–07	813475	193061	17.86	1183	29.94	56.75	10.98
रबी 2007–08	687907	280540	11.39	1014	22.04	77.53	28.76
रबी 2008–09	864414	220201	15.36	1527	46.30	76.52	14.38
रबी 2009–10	420652	80564	8.19	720	24.62	50.18	19.36
रबी योग	3941740	908705	77.18	6030	156.26	305.65	93.23
G.Total	15059061	5110495	312.75	16145	457.59	2570.28	1101.57